144

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

संचिका संख्याः 2/स०-2संस्कृति-24/15 05/ दिनांकः 27.03.2023

संकल्प

विषयः ***राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ/वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका से संबंधित पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प सं० 259 दिनांक 28.08.2017 में संशोधन।***

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के श्रेष्ठ तथा बेहतरीन 60 वर्ष से अधिक के वृद्ध कलाकारों, जो वर्त्तमान में आर्थिक विपन्नता अथवा अस्वस्थता के कारण अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाते है तथा दयनीय जीवन यापन करने पर मजबुर है, उन्हें प्रतिमाह रू० 1000/- (एक हजार) रूपये मासिक वृत्तिका प्रदान किए जाने संबंधी पात्रता, मापदण्ड, प्रक्रिया संबंधी विभागीय संकल्प सं० 259 दिनांक 28.08.2017 निर्गत है।

2. संबंधित संकल्प के क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवेदन आमंत्रित किए गए, जिस क्रम में संबंधित योजना के निर्धारित मानकों यथा कण्डिका 2(iii) एवं 2(iv) के अनुरूप वर्त्तमान में उक्त योजना के कोई लाभुक उपलब्ध नहीं हो पा रहे है।

3. योजना का वास्तविक लाभ अधिक से अधिक पात्र कलाकारों को प्राप्त हो सके अतएव संबंधित संकल्प द्वारा निर्धारित पात्रता में संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए उक्त संकल्प को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

विभागीय संकल्प सं० 259 दिनांक 28.08.17	**वर्त्तमान प्रावधान**	**प्रस्तावित संशोधन**
1	2	3
कंडिका 1	प्रति कलाकार प्रतिमाह 1000/- रू० की मासिक निवृत्तिका प्रदान की जायेगी	प्रति कलाकार प्रतिमाह 4000/- रू० की मासिक निवृत्तिका प्रदान की जायेगी
कंडिका 2(iii)	कलाकार जो अन्य सरकारी स्रोतों से इसी प्रकार की अन्य वृत्तिकाओं के लाभ नहीं ले रहा हो।	कंडिका विलोपित करने का प्रस्ताव है।
कंडिका 2(iv)	आवेदक कलाकार की मासिक आय रू० 4,000/- (चार हजार) रूपये प्रतिमाह से कम हो।	आवेदक कलाकार की मासिक आय रू० 8,000/- (आठ हजार) रूपये प्रतिमाह से कम हो।

4. उक्त संशोधन के साथ ही प्रति वर्ष निवृत्तिका हेतु कलाकारों की उच्चतम संख्या एक सौ (100) का प्रावधान होगा।

5. पूर्व निर्गत विभागीय संकल्प सं०-259, दिनांक-28.08.2017 की अन्य कंडिकाओं के प्रावधान यथावत रहेंगे।

6. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक- 15.03.2023 को आहूत बैठक के मद सं० 05 मे अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधरण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

27/3/23

सरकार के सचिव

(143)

ज्ञापांकः 663 राँची, दिनांकः 27/03/2023

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची/सभी जिला खेल पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/23

सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 663 राँची, दिनांकः 27/03/2023

प्रतिलिपिः अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/3/23

सरकार के सचिव

170

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

संचिका संख्याः 2 / स०–02 संस्कृति 24 / 15 ......259...... / दिनांकः ......28-8-17......

संकल्प

विषयः *राज्य के श्रेष्ठ एवं बेहतरीन अस्वस्थ / वृद्ध कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका।*

1. झारखण्ड राज्य की अपनी एक विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत है, फलस्वरूप देश–विदेश में इसकी एक अलग पहचान कायम है। यहाँ की संस्कृति तथा कला को विशिष्ट तथा अक्षुण्ण रखते हुए इसे संरक्षित करने में यहाँ के कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परन्तु स्थापित नीति नियमावली आदि के अभाव में कलाकारों का सर्वांगीण विकास तथा संवर्धन पूर्णता को प्राप्त नही कर सका है। यहाँ के कलाकार विशिष्ट कला शैली में निपुण होने के बावजूद भी आर्थिक परेशानी से घिरे रहते है तथा अस्वस्थ्य एवं वृद्ध हो जाने के पश्चात, जब वे अपनी कला का प्रदर्शन कर पाने में अक्षम होते है, तब उन्हें दिन प्रतिदिन के जीवन–यापन की विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है।

अतः सरकार द्वारा सम्यक विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के श्रेष्ठ तथा बेहतरीन कलाकारों, जो अब अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण आर्थिक विपन्नता अथवा अस्वस्थता की हालत में जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें प्रति माह 1000/– (एक हजार) रूपये मासिक वृत्तिका प्रदान की जाये जिससे उनका जीवन कुछ सरल हो पाये।

2. योजना का लाभ उठाने हेतु निम्नवत् पात्रता निर्धारित हैः–

(i) कलाकार की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुका हो।

(ii) आवेदक कलाकार जो इस हद तक अस्वस्थ हों कि अपने कला का प्रदर्शन एवं जीवन बसर कर पाने में अक्षम हो। इस संबंध में जिला सिविल सर्जन से आवश्यक चिकित्सा प्रमाण–पत्र निर्गत होना आवश्यक होगा।

(iii) कलाकार जो अन्य सरकारी स्रोतों से इसी प्रकार की अन्य वृत्तिकाओं के लाभ नहीं ले रहा हो।

(iv) आवेदक कलाकार की मासिक आय 4,000.00 (चार हजार) रू० प्रतिमाह से कम हो।

(v) आवेदक कलाकार झारखण्ड के लोक–जनजातीय संगीत, नृत्य, शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय नृत्य एवं शास्त्रीय तथा उपशास्त्रीय संगीत, नाटक, विभिन्न शिल्प कलाओं में से किसी एक में पारंगत हो एवं जिला स्तर पर उस विधा के कलाकार के रूप में उसकी स्थापित पहचान हो। इस संदर्भ में संबंधित उप विकास आयुक्त द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य होगा।

अथवा

ऐसे लोक कलाकार भी सुयोग्य माने जायेंगे जो आकाशवाणी / दूरदर्शन / भारत सरकार के संगीत एवं नाट्य प्रभाग से मान्यता प्राप्त (approved) हो तथा इन संस्थाओं के अंतर्गत कार्यक्रम देने का लगभग गत 10 (दस) वर्षों का अनुभव रखते हो।

अथवा

ऐसे लोक कलाकार भी सुयोग्य माने जायेंगे जिन्हें राज्य सरकार के पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा जिला / राज्य / राष्ट्र स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में लगभग गत 10

(दस) वर्षों से शामिल किया जाता रहा हो। संबंधित निदेशालय का दस्तावेज प्रमाण स्वरूप संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अथवा

ऐसे वरिष्ठ कलाकार जो भारत सरकार द्वारा पद्य पुरस्कार, केन्द्रीय ललित कला अकादमी/संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित हो चुके हों अथवा जिन्हें झारखण्ड सरकार द्वारा राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया हो।

आवेदक कलाकार को अपने दावे के पक्ष में आवश्यक प्रमाण पत्रों की प्रतियां भी आवेदन के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

3. **लाभुक कलाकारों के चयन हेतु मापदण्ड तथा प्रक्रियाः**

उपयुर्क्त विज्ञापन के आलोक में इस योजना के लिए योग्य पात्र एवं इसमें रूचि रखने वाले कलाकार जो अस्वस्थता के आधार पर विहित प्रपत्र में आवेदन देंगे, उन्हें अपनी अस्वस्थता प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार स्थानीय सिविल सर्जन होंगे।

आवेदन की समीक्षा हेतु संबंधित जिला के उपायुक्त एक समिति गठित करेंगे जो इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर अपने मंतव्य सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

समीक्षा समिति निम्नवत् गठित होगीः–

(i)	उपायुक्त/उप विकास आयुक्त	–	***अध्यक्ष***
(ii)	अनुमण्डल पदाधिकारी	–	***सदस्य***
(iii)	जिले में स्थित दूरदर्शन केन्द्र, आकाशवाणी केन्द्र (अगर हो तो) के प्रतिनिधि	–	***सदस्य***
(iv)	संगीत/नाटक/नृत्य/ चित्रकला एवं विभिन्न प्रकार के शिल्पों में पारंगत एक कलाकार जिसकी पहचान कम से कम जिला स्तर पर स्थापित हो	–	***सदस्य***
(v)	जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी	–	***सदस्य सचिव–सह संयोजक***

योजना का कार्यान्वयन विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों या स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा अनुशंसित आवेदन पत्रों की समीक्षा विभागीय स्तर की विशेषज्ञ समिति, जो पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा बनाई जायेगी की अनुशंसा पर किया जायेगा।

4. **लाभुक को वृत्तिका भुगतान प्रक्रियाः** चयनित लाभुक को निर्धारित वृत्तिका का भुगतान आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से किया जायेगा जिस हेतु सभी चयनित लाभुकों का आधार (AADHAR) सधित (linked) बैंक खाता खुलवाकर वृत्तिका राशि अंतरित की जायेगी। इस निमित्त वित्त विभाग द्वारा निरूपित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

168

5. **वित्तीय पहलू एवं प्रबंधनः**

अस्वस्थ्य एवं वृद्ध कलाकारों के मासिक वृत्तिका हेतु राशि का विकलन वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट शीर्ष 2205– कला एवं संस्कृति– लघु शीर्ष–101– ललित कला शिक्षा– उप शीर्ष–34– सांस्कृतिक कल्याण योजना एवं सांस्कृतिक प्रकाशन– विस्तृत शीर्ष–03– प्रशासनिक व्यय – प्राथमिक इकाई–20– मेला एवं प्रदर्शन इकाई मद से विकलनीय होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

सरकार के सचिव

मुकुन्द दास
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 259 रॉंची, दिनांकः 28-8-17

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, रॉंची / सभी जिला कोषागार पदाधिकारी / उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

मुकुन्द दास
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 259 रॉंची, दिनांकः 28-8-17

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, रॉंची / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड, रॉंची / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / निदेशक, संस्कृति, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय, झारखण्ड, रॉंची / सचिव, झारखण्ड कला मंदिर, होटवार, रॉंची / निदेशक, क्षेत्रीय जनजातीय भाषा शोध एवं अनुसंधान केन्द्र, रॉंची को सूचनार्थ एवं कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

मुकुन्द दास
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः 259 रॉंची, दिनांकः 28-8-17

प्रतिलिपिः अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, रॉंची।

मुकुन्द दास
संयुक्त सचिव